

21/01/25

पत्रावली (पत्रावली) वकील जॉर्ज उपस्थित।  
 अतिरिक्त दिनांक 06/09/24 के आदेशानुसार  
 जॉर्ज को अग्रिम संपत्ति 1/2, 1/3 पर  
 समझौता के लिए शक्ति मालकी अनुमति जारी  
 की। परन्तु लागू कानून के अंतर्गत  
 संपत्ति व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उचित  
 रूप में अग्रिम संपत्ति 1/2, 1/3 के समझौते  
 लिए शक्ति मालकी पेश नहीं की जाती। अतः  
 इसके प्राप्ति के लिए मालकी हेतु एक  
 उचित विचार रखा है। अतः जॉर्ज का प्रस्ताव  
 अतिरिक्त 09 दिनांक 02 CPC के तहत प्राथमिक  
 नहीं होने के लिए स्पष्ट निर्णय है।  
 पत्रावली अहम सुनार द्वारा प्राप्त है।

सहायक जज  
 जयपुर शहर प्रथम